M&7P/DY'NO-140

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE Department of Revenue (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) [Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax]

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2015

S.O. (E) ______ In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (4) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with section 6 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Additional Commissioners of Income-tax or the Joint Commissioners of Income-tax, as the case may be, shall exercise the powers and perform the functions of the Assessing Officers under the said Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015, in respect of territorial areas or persons or classes of persons or incomes or classes of incomes or cases or classes of cases, in respect of which such Additional Commissioners of Income-tax or the Chief Commissioner of Income-tax or the Director General of Income-tax or the Principal Commissioner of Income-tax or the Chief Commissioner of Income-tax in pursuance to the directions of the Board under sub-section (1) and (2) of section 120 of the said Income-tax Act, 1961.

[Notification No. 7.3 /2015, F. No. 187/13/2015 (ITA.I)]

Lefshille

DEEPSHKHA SHARMA Director, Government of India

To The Manager Government of India Press Ring Road, Mayapuri Industrial Area (Near Rajouri Garden), New Delhi – 110 064.

pelebe

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(काला धन (अघोषित आय और परिसंपत्तियां) और करारोपण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 24-4. अगस्त, 2015

का.आ. (अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा-(4) उपखंड (ख), काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और करारोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 6 के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि अपर आयकर आयुक्त या संयुक्त आयकर आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो उक्त काला धन (अघोषित आय और परिसंपत्तियां) और करारोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों या व्यक्तियों वा व्यक्तियों के वर्ग, आय या आय वर्ग या मामलों या मामलों के वर्गो के बारे में उन निर्धारण अधिकारियों के उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे जिसके लिए ऐसे अपर आयकर आयुक्त, या संयुक्त आयकर आयुक्त, को उक्त आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120 की उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत बोर्ड के निदेशों के अनुसरण में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त वा आयकर महानिदेशक या प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

[अधिसूचना सं.🗯

,य3/2ग८ फा.सं. 187/13/2015-(आईटीए-।)]

21412KAT

(दीपशिखा शर्मा) निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, (राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली-110064